



P.A. report  
12.10.20

From No. III  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा  
फर्द अहकाम  
(नियम 28)

चिरंजी बनाम विजेन्द्र वगै०

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज  
प्रार्थना पत्र -212 संख्या 214 वर्ष 2020

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख में  
जारी हुए

तारीख हुक्म  
27.10.2020

आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में सावित है।

अतः अप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 25.11.2020 तक अर्थाई निपेधाज्ञा चन्द्रोजा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1018/0.42 है० वाके ग्राम तिजारा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत पैदा न करें एवं खुद की खातेदारी में दवे हुए पाइपों को डिस्टर्ब न करें।

क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें ? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्जे अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलवाने जारी करा पो० रसीद 07 दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है पत्रावली वाद के साथ पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा(अलवर)

30 03/22 आज पत्रावली 21/10/20 के साथ 214 के दारे 2 हिस।  
पेश की पत्रावली दिनांक 12/10/20 से पेश की गई

उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर) राजस्थान

05/22 आज पत्रावली पेश की गई है 5 पार्क यापि 30/10/20  
का पत्र के अन्तर्गत मूलवादा 1018/0.42 के साथ है उक्त  
फाटका 1018/0.42 दिनांक 12/10/20 से पेश हुआ है

उपखण्ड अधिकारी  
तिजारा (अलवर) राजस्थान